प्रेस विज्ञप्ति

30.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने **मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** के धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत **7.03 करोड़ रुपये (लगभग)** की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां कंपनी और उसके निदेशक के नाम पर पंजीकृत हैं तथा पटना और नोएडा में स्थित हैं।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के तहत मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि पटना के दानापुर में "साईं एन्क्लेव" नामक परियोजना का निर्माण मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना था। इसके निदेशक बिमल कुमार ने विभिन्न खरीदारों को उक्त परियोजना में फ्लैट उपलब्ध कराने का वादा किया और उनसे भारी रकम वसूली। हालांकि, उक्त परियोजना कभी पूरी नहीं हुई, बल्कि संभावित खरीदारों की **7.82 करोड़ रुपये (लगभग)** की राशि निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिग्रहण में लगा दी गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि संभावित खरीदारों से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने आवासीय भूमि और दुकानें खरीदने के लिए किया और पटना में आलीशान घर के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया। यह भी उल्लेख करना उचित है कि कंपनी के निदेशकों ने जांच की कार्यवाही को विफल करने के लिए ईडी द्वारा जांच शुरू होने के बाद दो संपत्तियों का स्वामित्व ज्ञात व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया।

इससे पहले, सितंबर 2024 के महीने में पटना, नोएडा और बैंगलोर में कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित 8 परिसरों में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान, निदेशक द्वारा आवासीय फ्लैट हासिल करने के लिए भुगतान की गई 72 लाख रुपये की अग्रिम राशि और बरामद 7 लाख रुपये की नकदी को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया था।

आगे की जांच जारी है।